FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana   P.S. (थाना): ACB, Rohtak   Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0031   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 29/11/2025 17:17 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Sunday   Date from (दिनांक से): 08/06/2025   Date To (दिनांक तक): 08/06/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar 1   Time From (समय से): 00:00 hrs   Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):   Date (दिनांक): 29/11/2025   Time (समय): 17:17 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 007   Date and Time (दिनांक और समय): 29/11/2025 17:17 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 8 Km(s)   Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): होटल कैन्डी भिवानी चुंगी रोहतक,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक देवेन्द्र

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1987   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना रा० स० एव भ० नि० ब्यूरो, उप केन्द्र झज्जर, ACB, Rohtak, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना रा० स० एव भ० नि० ब्यूरो, उप केन्द्र झज्जर, ACB, Rohtak, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7056402268

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	रामकंला कनिष्ठ अभियन्ता			1. बिजली विभाग रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
2	राजेश लाईनमैन			1. बिजली विभाग रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

AnyScanner

प्रबंधक थाना,
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक ।
श्रीमान जी,

शिकायतकर्ता श्री सुमीत कुमार पुत्र श्री रविन्द्र निवासी मकान न0 547/16 किला मोहल्ला, नजदीक सरदार चाट वाली गली रोहतक हाल शेर विहार कालोनी नजदीक प्लाई फैक्ट्री भिवानी चुंगी रोहतक द्वारा की गई एक शिकायत विरुद्ध रामकंला कनिष्ठ अभियन्ता व राजेश लाईनमैन बिजली विभाग रोहतक, कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के पत्र क्रमांक 13166/शिकायत/218/रोहतक/2025 दिनांक 08.07.2025 के अनुसार तसदीक हेतु प्राप्त हुई । जिसमें आरोप था कि दिनांक 08.06.2025 को समय करीब 06:00 AM पर आरोपी रामकंला कनिष्ठ अभियन्ता ने परिवादी के मकान मालिक संजय सैनी वासी शेर विहार कालोनी नजदीक प्लाई फैक्टरी भिवानी चुंगी रोहतक के मकान पर चैकिंग की और रामकंला जे.ई. ने संजय सैनी को 50000/-रुपये जुर्माना आने बारे बताया जिसके बाद शिकायतकर्ता सुमीत की उसके कर्मचारी अनुराग के मोबाईल फोन न0 7056537139 से रामकंला कनिष्ठ अभियंता के फोन न0 9812680149 पर बिजली चोरी के लिए जुर्माना न करने की एवेज में परिवादी सुमित से 20-30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग करना और दिनांक 08.06.2025 को ही शिकायतकर्ता से 20,000/-रुपये रिश्वत राशि उसके होटल कैन्डी भिवानी चुंगी रोहतक पर आकर ले जाने बारे और दिनांक 09.06.2025 को राजेश लाईनमैन बिजली विभाग रोहतक द्वारा बकाया 5000/-रुपये रिश्वत राशि शिकायतकर्ता के होटल कैन्डी पर आकर ले जाने बारे था। जिसकी तसदीक दिनांक 10.07.2025 को मन निरीक्षक द्वारा अमल में लाई गई । तसदीक के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा एक आडियों रिकार्डिंग, विडियो रिकार्डिंग पैन ड्राईव में डालकर प्रस्तुत की गई आडियो रिकार्डिंग का हिन्दी अनुलेखन शिकायतकर्ता की सहायता से तैयार किया गया । जिसके अवलोकन से पाया गया कि आरोपी रामकंला कनिष्ठ अभियन्ता बिजली विभाग रोहतक द्वारा शिकायतकर्ता सुमित से उसके मकान मालिक संजय सैनी का बिजली चोरी के लिए जुर्माना न करने की एवेज में परिवादी सुमित से 20-30 हजार रुपये रिश्वत राशी मांग की जानी पाई गई है और राजेश लाईनमैन बिजली विभाग रोहतक शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई विडियो रिकार्डिंग में 5000/-रुपये राशि शिकायतकर्ता के होटल पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है और शिकायतकर्ता व राजेश लाईनमैन की आडियो रिकार्डिंग में रिश्वत राशि से सम्बंधित बातचीत होनी पाई गई है । शिकायतकर्ता सुमित से उसके मकान मालिक संजय सैनी का बिजली चोरी के लिए जुर्माना न करने की एवेज में 20,000-30000/-रुपये की रिश्वत राशि मांगकर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपराध किया है। रामकंला कनिष्ठ अभियन्ता व राजेश लाईनमैन बिजली विभाग रोहतक का यह कृत्य ex- facie अपराधिक की श्रेणी में आता है । इसीलिए उक्त आरोपियान के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से धाराधीन 17-ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः आरोपियान रामकंला कनिष्ठ अभियन्ता व राजेश लाईनमैन बिजली विभाग रोहतक के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये जाने के लिए लेख भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके नियमानुसार स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अधिकारियों को बजरिया टैलिफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाए । हस्ता अंग्रजी Devender

(निरीक्षक देवेन्द्र)
राज्य सतर्कता एंव
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उपकेन्द्र झज्जर ।
दिनांक 25.11.2025

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 31 दिनांक 29.11.2025 धारा 7 पी.सी.एक्ट थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला व डयुटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को बजरीया ई-मेल दवारा सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक भगत सिंह 560/RRथाना राज्य चौकसी एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक के हवाले की जाएगी उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से CDC निरीक्षक मनोज कुमार 1136/रेवाडी थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है ।

SCAN AnyScanner

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Bhagat Singh Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 247RTK to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Manoj

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manoj

Rank (पद): CDC Insp [illegible] Police)

No. (सं.): 1136/RWR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

AnyScanner